मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग,

मंत्रालय, भोपाल

: आदेश :

भोपाल, दिनांक 11 /10/2017

क्रमांक एफ 1-20/2017/अ-तेहत्तर: राज्य शासन एतद् द्वारा पॉवरलूम बुनकरो को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान योजना को वर्ष 2017-18 से निरंतर रखने बाबत निम्न अनुसार निर्णय लिया गया है :-

1. पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत प्रदाय योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखे जाने की सैद्यांतिक स्वीकृति दी जावे।
2. व्यय आकार रूपये 90 करोड (रूपये नब्बे करोड मात्र) रखा जावे।
3. 150 अश्वशक्ति तक के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत प्रदाय का लाभ दिया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.एल. कान्ता राव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1-20/2017/अ-तेहत्तर भोपाल दिनांक 11 /10/2017

1. प्रमुख सचिव,(समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग